केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

C. I. C. /के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
11 NOV 2024
D. No........
Initials........

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/24/00117

संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00358

अपीलकर्ता श्री चरण सिंह

[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.06.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	27.08.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	19.09.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	कर्नल एस.एस. चिकारा, CPIO (DR to IC AR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.10.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	18.10.2024
निर्णय की तारीख	08.11.2024

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 22.06.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"निवेदन यह है कि द्वितीय अपील सं CIC/CBIND/A/2023/102973, चरन सिंह बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आगरा (उ०प्र०) आदेश द्वितीय अपील दिनांक 23.04.2024 से संबंधित निम्न बिंदुओं की सूचनाएं प्रमाणित कराके उपलब्ध कराये।

1.) द्वितीय अपील सं CIC/CBIND/A/2023/102973, आदेश दिनांक 23.04.2021 में द्वितीय अपील दिनांक 17.01.2023 की छाया प्रति उपलब्ध कराये।

2.) प्रार्थी ने द्वितीय अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2022 को आपके समक्ष भारतीय डाक रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत की थी। उस प्रार्थना पत्र में सल्गन कॉपी क्र० सं ०. 7 पर

3.) एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2021 का सल्गन किया था। शिकयती प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2021 को छाया प्रति उपलब्ध कराये।

2. प्रदान की गई सूचना

कर्नल एस.एस. चिकारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 19.09.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"Refer to High Court, Madras Vs Central Information Commission, Writ Petition No. 26781/2013 dated 17.09.2014.

We fail to understand as to how the second respondent is entiled to justify his claim for seeking the copies of his complaints and appeals. It is needless to say that they are not the information available within the knowledge of the petitioner on the hand, admittedly, they are the documents of the second respondent himself, and therefore, if he does not have copies of the same,he has to blame himself and he cannot seek those details as a matter of right. Further, those documents cannot be brought under the definition information as defined under Section 2 (f) of the RTI Act. In the above said judgement, the sought information cannot be furnished."

3. प्रथम अपील का आधार

"प्रार्थी को दिनांक 19.09.2024 भारतीय डाक रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त No.CICOM/R/P/24/00358 के माध्यम से जो उत्तर प्राप्त है। वह जानबूझकर भ्रमित, गलत व अंग्रेजी भाषा में दिए गए है तथा उत्तर के विरुद्ध आपके समक्ष प्रथम अपील करने का निर्देश दिया गया है। जो कि प्रार्थी को दिनांक 28.09.2024 को प्राप्त हुआ है। उत्तर से प्रार्थी संतुष्ट नहीं है।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/24/00358 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 08.11.2024

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

8.11.24